UPLL010011342020

न्यायालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

सत्र परीक्षण संख्या 227/2020

सरकार बनाम घनश्याम

मुकदमा अपराध संख्या 06/2020
अन्तर्गत धारा 366 भा.द.सं.
थाना जखौरा, जनपद ललितपुर।

आरोप

मैं, मोहम्मद रियाज़, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्त घनश्याम पुत्र रामसेवक, निवासी ग्राम अधियारी, थाना जखौरा, जनपद ललितपुर को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:–

यह कि घटना की दिनाँक 14.01.2020 समय 00.30 बजे व स्थान वह्द ग्राम अंधियारी पर आप अभियुक्त ने वादी की पुत्री को विवाह के लिए विवश या उत्प्रेरित करने हेतु उसका अपहरण किया गया। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य कारित किया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने लगाए गए आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक–31.03.2021

(मोहम्मद रियाज़)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–31.03.2021

(मोहम्मद रियाज़)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

Digitally signed by MOHD RIAZ
Date: 2021.03.31 16:57:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>न्यायालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।</u>

सत्र परीक्षण संख्या 227/2020

सरकार बनाम घनश्याम

मुकदमा अपराध संख्या 06/2020
अन्तर्गत धारा 366 भा.द.सं.
थाना जखौरा, जनपद ललितपुर।

दिनाँकः 31.03.2021

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्त घनश्याम जेरे जमानत समक्ष न्यायालय उपस्थित है।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है तथा उसे उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री का विवाह हेतु विवश करने के उद्देश्य से अपहरण किया गया। इसलिए अभियुक्त पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 366 भा.द.सं. के आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 366 भा.द.सं. का आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनॉक 28.04.2021 को पेश हो।

दिनॉक–31.03.2021

(मोहम्मद रियाज़)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।